भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1637
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना का मूल्यांकन

1637. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र की दक्षता, विशेषकर किसानों को लाभ के हस्तांतरण में विलंब की पहचान करने और उसे समाप्त करने के संबंध में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य-वार पीएम-किसान के अंतर्गत लंबित और विलंबित भुगतानों का ब्यौरा क्या है और ऐसे विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमि अभिलेखों, आधार प्रमाणीकरण की विफलताओं अथवा बैंकिंग संबंधी विसंगतियों से संबंधित मुद्दों के कारण बड़ी संख्या में पात्र छोटे और सीमांत किसान पीएम-किसान लाभों से बाहर रह गए हैं और यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) तमिलनाडु और अन्य राज्यों में ऐसे कितने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा दावों के निपटान में विलंब अथवा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) बीमा कंपनियों द्वारा दावों का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

पीएम-किसान योजना के कई प्रभाव मूल्यांकन आकलन किए गए हैं जो किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को उजागर करते हैं। उनके निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए स्वतंत्र अध्ययन में विश्लेषण किया गया कि योजना के तहत किसानों द्वारा नकद हस्तांतरण का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा था। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि पीएम-किसान के तहत प्रदान की गई धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास, ऋण बाधाओं को कम करने और कृषि आदानों में निवेश में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, निधियों से किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार हुआ है, जिससे वे उत्पादक परंतु जोखिम भरा निवेश करने में सक्षम हुए हैं। कृषि आवश्यकताओं

के अतिरिक्त, धन का उपयोग शिक्षा, चिकित्सा और विवाह लागत जैसे अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए भी किया गया है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसान कॉल सेंटरों (केसीसी) का उपयोग करते हुए एक व्यापक फीडबैक तंत्र भी कार्यान्वित किया है और किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि इस योजना से 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी संतुष्ट हैं तथा 93 प्रतिशत से अधिक किसान लाभ का उपयोग कृषि कार्यकलापों के लिए कर रहे हैं।

(iii) नीति आयोग के विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि यह योजना कृषि भू-धारक किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने प्राथमिक कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी किसानों ने बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे आवश्यक कृषि आदानों के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग किया, जो बढ़ती इनपुट लागत और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के चलते विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

इसके अतिरिक्त, लगभग 85 प्रतिशत लाभार्थी किसानों ने कृषि आय में वृद्धि की सूचना दी, और फसल की विफलता या चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई। यह अध्ययन गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और संस्थागत पारदर्शिता से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति में योजना के योगदान को दर्शाता है। यह इस बात पर भी बल देता है कि, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली और प्रणाली में निरंतर सुधार के कारण लेनदेन विफलताओं में काफी कमी आने के साथ ही पीएम-किसान योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री **फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** और मौसम सूचकांक आधारित **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)**शुरू की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और किसानों की आय को स्थिर किया जा सके।

पीएमएफबीवाई के तहत, सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा के एकल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय **फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** का विकास किया है, जिसमें किसानों का प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करना और किसान के व्यक्तिगत बैंक खाते में दावा की गई राशि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण सुनिश्चित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजीक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल का संचालन किया गया है। इसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सहित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) एवं बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकरण शामिल है, ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का भुगतान समय पर एवं पारदर्शी तरीके से किया जा सके। यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तब 12 प्रतिशत जुर्माने की स्वत: गणना एनसीआईपी माध्यम से लगाई जाती है।

(ख) और (ग) पीएम-किसान एक पात्रता आधारित योजना है और प्रत्येक पात्र किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। पीएम-किसान योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करना तथा लाभों के सफल अंतरण के लिए भूमि रिकॉर्ड, आधार को उनके बैंक खातों से जोड़ना और ई-केवाईसी सहित पात्र किसानों के डेटा को अपलोड करना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत् प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना पंजीकरण करा

सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को उचित सत्यापन के बाद संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके पश्चात, विभाग द्वारा प्रतिलाभ पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और इसे बाद की किस्तों में जारी कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लैंड सीडिंग, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों ने इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं किया, उनके प्रतिलाभ रोक दिए गए। किसानों को पीएम-किसान के तहत प्रतिलाभों का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। जब ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, तो योजना के तहत उनके प्रतिलाभ बाद की किस्त से पुनः प्रारंभ हो जाते हैं।

पीएम-किसान के अंतर्गत, 100 प्रतिशत भुगतान आधार आधारित भुगतान के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किए गए हैं। इस भुगतान प्रक्रिया में बैंक खाता संख्या या अन्य बैंक खाते से संबंधित जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है।

(घ) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के तहत नामांकन करने के पात्र हैं। योजना के प्रारंभ वर्ष 2016 से ही तमिलनाडु राज्य इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 (31.12.2025 तक) तक पीएमएफबीवाई के तहत रिपोर्ट किए गए, भुगतान किए गए और लंबित दावों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ङ) एनसीआईपी और डिजीक्लेम मॉड्यूल के अतिरिक्त, सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे -

- राज्य सरकारों से प्रीमियम सब्सिडी के केन्द्र सरकार के हिस्से को अलग करने का कार्यान्वयन किया गया है ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने प्रीमियम शेयर को अग्रिम रूप से जमा करने के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2025 सीजन से एस्क्रो खाता खोलना अनिवार्य किया गया है।
- इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करने और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करने, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देने, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों को दावों के समय पर निपटान में सुधार किया जा सके।
- रबी 2024-25 से किश्त आधारित दावा निपटान शुरू किया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 (31.12.2025 तक) तक पीएमएफबीवाई के तहत रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का राज्यवार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
	(रु. करोड़ में)		
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.05	0.00
आंध्र प्रदेश	3,793.60	751.94	3,041.66
असम	639.85	617.84	22.01
छत्तीसगढ़	3,713.87	3,712.42	1.44
गोवा	0.01	0.01	0.00
हरियाणा	6,015.02	5,966.52	48.49
हिमाचल प्रदेश	385.62	376.79	8.83
जम्मू और कश्मीर	122.53	120.28	2.24
झारखंड	27.28	-	27.28
कर्नाटक	11,251.80	11,182.78	69.02
केरल	587.24	574.54	12.70
मध्य प्रदेश	13,923.73	13,877.83	45.90
महाराष्ट्र	27,115.96	26,812.78	303.18
मणिपुर	6.90	6.74	0.16
मेघालय	24.30	24.08	0.21
ओडिशा	2,594.33	2,583.67	10.67
पुदुचेरी	14.81	13.20	1.61
राजस्थान	19,374.25	18,994.26	379.99
सिक्किम	0.04	0.03	0.01
तमिलनाडु	**5,961.62**	**5,917.27**	**44.35**
त्रिपुरा	9.78	9.67	0.11
उत्तर प्रदेश	3,354.45	3,315.66	38.79
उत्तराखंड	1,168.26	1,119.45	48.81
कुल	**1,00,085.31**	**95,977.84**	**4,107.48**

*****